

संख्या-1/स्था0 (4) 02/2024(खंड)-...../

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

"शुद्धि-पत्र"

विभागीय आदेश संख्या-2095, दिनांक-09.05.2025 के क्रम संख्या-4 के स्तम्भ-2 में अंकित पदाधिकारी का नाम डॉ० सुधांशु शेखर सिंह के स्थान पर डॉ० सुधांशू शेखर सिंह शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाए।

2. विभागीय आदेश संख्या-2095, दिनांक-09.05.2025 के क्रम संख्या-20 के स्तम्भ-2 में अंकित पदाधिकारी का नाम डॉ० मो० इब्राहिम खाँ के स्थान पर डॉ० मो० इब्राहीम खाँ शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाए।

3. विभागीय आदेश संख्या-2095, दिनांक-09.05.2025 के क्रम संख्या-35 के स्तम्भ-2 में अंकित पदाधिकारी का नाम डॉ० ओम प्रकाश के स्थान पर डॉ० ओम प्रकाश शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाए।

उक्त आदेश की शेष बातें यथावत रहेगी।

ह०/-

(जीतेन्द्र कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/स्था0 (4) 02/2024(खंड)- /पटना-15, दिनांक- /2025

प्रतिलिपि:-प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/स्था0 (4) 02/2024(खंड)- /पटना-15, दिनांक- /2025

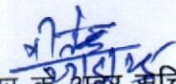
प्रतिलिपि:-निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी/संबंधित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/संबंधित पशु शल्य चिकित्सक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/स्था0 (4) 02/2024(खंड)- 2339 /पटना-15, दिनांक- 27/05 /2025

प्रतिलिपि:-आई०टी० प्रबंधक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।